राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1939/2010/जयपुर

मैसर्स सिद्धार्थ फारमास्यूटिकल्स, दूनी हाऊस,
फिल्म कॉलोनी, जयपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–एफ, जयपुर। .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.सी.अग्रवाल,
अभिभाषक । .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन.के.बैद,
उप–राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :01.07.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील उपायुक्त वाणिज्यिक कर (अपील्स–चतुर्थ),जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक **13.08.2010** के विरूद्ध पेश की गयी है, जो अपील संख्या 69/अपील्स–IV/2009–2010 के संबंध में पारित किया गया है तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–एफ, जयपुर (जिसे आगे ''निर्धारण अधिकारी'' कहा जायेगा) द्वारा ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 23 के तहत् आरोपित मांग राशि ₹1,30,961/– को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी का वर्ष 2006–07 का निर्धारण अधिनियम की धारा 23 के तहत् एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है । प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर, यह पाया कि अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा निर्धारण वर्ष 2006–07 से संबंधित चारों त्रैमासिक विवरण प्रपत्र, घोषणा प्रपत्र वैट–10 एवम् ट्रेडिंग अकाउण्ट प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने जांच कर, यह भी पाया कि अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा निर्धारण वर्ष 2005–06 में अन्तिम स्टॉक कीमतन ₹25,18,467/– घोषित किया गया है जिस पर प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी–व्यवहारी पर अधिनियम के तहत् उक्त स्टॉक पर कर ₹1,00,739/– अरोपित किया तथा यह कर अदत्त रहने के कारण 30 माह का ब्याज ₹30,222/– आरोपित कर, मांग राशि ₹1,30,961/– कायम की गयी। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकीर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर ली गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा

लगातार.....2

यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।

3. बहस सुनी गयी ।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि करारोपण करने की कार्यवाही करने से पूर्व निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवायी का मौका नहीं प्रदान नहीं किया गया है, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियमों, 2006 के नियम 48 के तहत् एवम् प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के आलोक में आवश्यक है। अतः उक्त के आलोक में ही पारित आदेश को अविधिक होने का कथन कर, प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

5. गुणावगुण पर कथन किया कि में अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा घोषित एम. आर.पी के अंतिम रहतिये वर्ष 2005–06 कीमतन ₹25,18,467/– पर कर ₹1,00,739/– तथा इसके अदत्त रहने के कारण ब्याज ₹30,222/– आरोपित किया गया है वह विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है क्योंकि पारित आदेश से पूर्व अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को नोटिस जारी नहीं किया है तथा निर्धारण वर्ष 2006–07 की अवधि में दिनांक 31.03.06 को शेष रहे स्टॉक पर करारोपण किया गया है। अतः किया गया करारोपण विधिसम्मत एवम् उचित नहीं होने के कारण दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अपास्त कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

6. अपीलार्थी की ओर से उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

7. बहस पर मनन किया गया । रिकॉर्ड का परिशीलन किया। रिकॉर्ड के परिशीलन से विदित होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध करारोपण करने की कार्यवाही करने से पूर्व निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवायी का मौका नहीं प्रदान नहीं किया गया है, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियमों, 2006 के नियम 48 के तहत् एवम् प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के आलोक में आवश्यक है। अतः उपर्युक्त तथ्यात्मक एवम् विधिक स्थिति के आलोक में, दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अपास्त कर, प्रकरण निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी को न्यायहित में एक मौका और प्रदान कर, नियमानुसार विधिसम्मत कार्यवाही करें ।

लगातार.....3

8. परिणामतः, अपील स्वीकार कर, प्रकरण को उपर्युक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

9. निर्णय सुनाया गया ।

1-7-2014

(मदन लाल)
सदस्य